

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]
No. 614]नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2002/आषाढ़ 19, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2002/ASADHA 19, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2002

का.आ. 722(अ).—निर्यात व्यापार के विकास के लिए ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का0आ0 729 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 का संशोधन करने के लिए और मछली तथा मछली उत्पादों में प्रतिजैविकी, नाशीकीटमार और भारी धातुओं के लिए अधिकतम अवशेष सीमा से संबंधित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 792 (अ) तारीख 17 अगस्त, 2001 को अधिक्रान्त करते हुए, कतिपय प्रस्ताव निर्यात निरीक्षण परिषद को भेजे गए थे और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के आदेश सं. का.आ. 528 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड - 3, उपखंड - (ii) तारीख 17 मई, 2002 में प्रकाशित किए गए थे ;

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी जाती है तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 मई, 2002 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली तथा मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का0आ0 729 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 में मछली और मछली उत्पादों में प्रतिजैविकी, नाशीकीटमार और भारी धातुओं के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एम.आर.एल.)से संबंधित

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का.आ. 792 (अ) तारीख 17 अगस्त, 2001 को अधिकांश करते हुए निम्नलिखित संशोधन करती है जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे, अर्थात:-

उक्त आदेश की अनुसूची - 1 में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ड.) मछली और मछली उत्पादों में नाशीकीटमार और भारी धातुओं और प्रतिजैविकी तथा अन्य भेषजगुण विज्ञानीय रूप से क्रियाशील पदार्थों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एम.आर.एल) नीचे दी गयी अपेक्षाओं को पूरा करेंगी ; तथापि आयातकर्ता देशों द्वारा नियत की गयी अधिकतम अवशेष सीमा इन विहित सीमाओं से अधिक कठोर है तो उन देशों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

नाशीकीटमार

नाशीकीटमार	पी पी एम में अधिकतम अनुज्ञेय अवशेष स्तर
बेन्जीन हैक्सा क्लोराइड बीएचसी	0.3
ऐन्ड्रिन	0.3
डाइल्लिन	0.3
ऐन्ड्रिन	0.3
डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोइथेन डी डी टी	5.0

भारी धातुएं

भारी धातुएं	पी पी एम में अधिकतम अनुज्ञेय अवशेष स्तर
पारद (मरकरी)	1.0
केडमियम	3.0
आर्सेनिक	75
सीसा	1.5
टीन	25.0
निकेल	80
क्रोमियम	12

प्रतिजैविकी और अन्य भेषजगुण विज्ञानीय रूप से क्रियाशील पदार्थ

प्रतिजैविकी	पी पी एम में अधिकतम अनुज्ञेय अवशेष स्तर
टेट्रासाइक्लीन	0.1
ओक्सीटेट्रासाइक्लीन	0.1
ट्राइमेथोप्रीम	0.05
ओक्सीलीनिक एसिड	0.3

(च) ब्रींगी, ब्रींगा या मछली की किसी अन्य किस्म और मछली उत्पादन के पूर्व प्रसंस्करण या प्रसंस्करण की किसी इकाई में या उनके लिए खाद्य का विनिर्माण करने वाली किसी इकाई में या जूविनाइल या लार्वा या नौपली के उत्पादन के लिए किसी संवर्धन या किसी अंडज उत्पत्तिशाला में निम्नलिखित प्रतिजैविकीय और भेषजगुण विज्ञानीय रूप से सक्रिय पदार्थों में से किसी का प्रयोग प्रतिषिद्ध होगा ।

i) सभी नाइट्रोफ्यूरांस जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है:

- फ्यूरोलटाइन
- फ्यूराजोलीन
- फ्यूरीलफेरेमाइड
- नाइट्रोफ्यूराटेल
- नाइट्रोफ्यूरोक्सिम
- नाइट्रोफ्यूराइजिन
- नाइट्रोफ्यूरानटोइन
- नाइट्रोफ्यूराजोन

ii) क्लोराम्फेनाइकोल

iii) नेओमाइसीन

iv) नालिडिहक्सिक एसिड

v) सल्फा मेथोक्साजोल

vi) ऐरिस्टोलोचिया एसपीपी और इसकी निर्मितियां

vii) क्लोरोफोर्म

viii) क्लोरप्रोमाजिन

ix) कोलचिसीन

x) डेपसोन

xi) डाइमोड्रीडाजोल

- xii) गेट्रोनिडाजोल
- xiii) रोनिडाजोल
- xiv) इप्रोनीडाजोल
- xv) अन्य नाइट्रोइमीडाजोल
- xvi) क्लेनब्यूटेरोल
- xvii) डाइथिलस्टीलेसट्रोल (डीइएस)
- xviii) सल्फोनामाइड ड्रग्स (अनुमोदित सल्फाडीमीथोक्सिन, सल्फोब्रोमोमैथाजिन और सल्फाऐथोक्सीप्राइडाजिन को छोड़कर)
- xix) फ्ल्यूरोक्वीनोलोनस
- xx) गाइकोपेपटीडाइज

[फा. सं. 6/2/2001-ईआई एंड ईपी]

एम. वि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.— मूल आदेश का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे बाद में का.आ. 792(अ) तारीख 17 अगस्त, 2001 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 10th July, 2002

S.O. 722(E).— Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the Order No. SO 729 (E) dated 21st August, 1995, of erstwhile Ministry of Commerce, Government of India, relating to Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products and in supersession of Order No. SO 792 (E) dated 17th August, 2001, Ministry of Commerce and Industry relating to Maximum Residual Limits (MRLs) for antibiotics, pesticides and heavy metals in fish and fishery products were forwarded to Export Inspection Council and published in Part II section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th May 2002 vide Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number SO 528 (E), as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 under Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963;

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date the said notification was made available to the public:

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 17th May 2002 :

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting Export Inspection Council, hereby makes the following amendments to the Order No. SO 729 (E) dated 21st August, 1995, of erstwhile Ministry of Commerce, Government of India, relating to Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products and in supersession of Order No. SO 792 (E) dated 17th August 2001, Ministry of Commerce and Industry relating to Maximum Residual Limits (MRLs) for antibiotics, pesticides and heavy metals in fish and fishery products, which shall take effect on the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

In the said Order, in schedule - I, for clause (e), the following shall be inserted, namely:-

“(e) Maximum Residual Limits (MRLs) for pesticides, heavy metals and antibiotics and other pharmacologically active substances in fish and fishery products shall meet the requirements as given below. However, if the MRLs fixed by the importing countries are more stringent than these prescribed limits, the standards specified by those countries will be complied with.

Pesticides

Pesticides	Max. permissible residual level in ppm
BHC	0.3
Aldrin	0.3
Dieldrin	0.3
Endrin	0.3
DDT	5.0

Heavy Metals

Heavy Metals	Max. permissible Residual level in ppm
Mercury	1.0
Cadmium	3.0
Arsenic	75
Lead	1.5
Tin	250
Nickel	80
Chromium	12

Antibiotics and other Pharmacologically Active Substances

Antibiotics	Max. permissible residual level in ppm
Tetracycline	0.1
Oxytetracycline	0.1
Trimethoprim	0.05
Oxolinic acid	0.3

(f) the use of any of the following antibiotics and other pharmacologically active substances shall be prohibited in the culture of; or in any hatchery for producing the juveniles or larvae or nauplii of; or in any unit manufacturing feed for; or in any unit pre-processing or processing shrimp, prawns or any other variety of fish and fishery products:

2185-E/11/02-2

- (i) All Nitrofurans including
- Furaladone
 - Furazolidone
 - Furylfuramide
 - Nifuratel
 - Nifuroxime
 - Nifurprazine
 - Nitrofurantoin
 - Nitrofurazone
- (ii) Chloramphenicol
- (iii) Neomycin
- (iv) Nalidixic acid
- (v) Sulphamethoxazole
- (vi) Aristolochia spp and preparations thereof
- (vii) Chloroform
- (viii) Chlorpromazine
- (ix) Colchicine
- (x) Dapsone
- (xi) Dimetridazole
- (xii) Metronidazole
- (xiii) Ronidazole
- (xiv) Ipronidazole
- (xv) Other nitroimidazoles
- (xvi) Clenbuterol
- (xvii) Diethylstilbestrol (DES)
- (xviii) Sulfonamide drugs
(except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine)
- (xix) Fluoroquinolones
- (xx) Glycopeptides

[F. No. 6/2/2001-EI&EP]

M. V. P. C. SASTRY, Jt. Secy.

Foot Note : The principal Order was published vide S.O. 729(E) dated 21st August, 1995 and subsequently amended vide S.O. 792(E) dated 17th August, 2001.